''पुलिस कैन्टीन''

दिनॉक 15 जून, 2010 को ''पुलिस कल्याण समीक्षा समिति'' में पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड के निर्देशानुसार उत्तराखण्ड पुलिस विभाग के पुलिस कर्मियों को सेना की भॉति सी0पी0सी0 (सेन्ट्रल पुलिस कैन्टीन) की सुविधा दिये जाने हेतु राज्य के सभी जनपद/वाहिनियों में सी0पी0सी0 (सेन्ट्रल पुलिस कैन्टीन) कैन्टीन खोली गई है। वर्तमान में राज्य के जनपद टिहरी गढवाल को छोडकर सभी जनपद/वाहिनियों की पुलिस लाईन में सी0पी0सी0 कैन्टीन की स्थापना की गई है।

2– जनपदों में सी0पी0सी0 कैन्टीन कार्ड बनाने के लिये इच्छुक अधिकारियों/कर्मचारियों से निम्न प्रकार अंशदान तय किया गया है :–

1–राजपत्रित अधिकारी–	रू0 2000–00
2–निरीक्षक/उपनिरीक्षक–	रू0 1500–00
3–एएसआई(एम)/उनि0वि0श्रे0/हेड कानि0–	रू0 1000–00
4–कानि0–	रू0 800–00
5–चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी–	रू0 500–00

3– यह अंशदान केवल एक बार लिया जाता है। जिन अधिकारियों/कर्मचारियों से अंशदान लिया जाता है, उन्ही अधिकारी/कर्मचारियों को कैन्टीन की सुविधा दी जाती है। अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण होने पर अग्रिम धनराशि वापस कर दी जायेगी।

4– कैन्टीन से पुलिस विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों को दैनिक उपभोग का सामान बाजार भाव से कम दर पर दिया जाता है। कैन्टीन कार्ड से प्रत्येक माह सामान खरीदने हेतु क्रय सीमा निर्धारित की गई है, जो निम्नवत है :–

1–राजपत्रित अधिकारी–	रू0 3500–00
2–निरीक्षक/उपनिरीक्षक–	रू0 3000–00
3–एएस0आई0(एम)/हेडकानि0/कानि0–	रू0 2500–00
4–चतुर्थ श्रेणी–	रू0 2000–00